

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220140
SG-DL-E-24062020-220140

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]	दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ़ 3, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 52
No. 117]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASADHA 3, 1942	[N.C.T.D. No. 52

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 जून, 2020

सं. एफ. 9(1)/89/डीएलसी/डब्ल्यू/1567.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू बाम्बे श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1953 (बाम्बे अधिनियम 1953 की संख्या XL) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा दिल्ली श्रम कल्याण निधि नियम 1997 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप राज्यपाल दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड जो कि अधिसूचना संख्या एफ.9(1)/89/डीएलसी/डब्ल्यू/1869 दिनांक 12.06.2018 द्वारा गठित किया गया था, में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त करते हैं :-

1. श्री भूरे खान—स्वतंत्र सदस्य
2. डॉ. अलका कॉल—एक्जेक्यूटिव मेंबर नार्दन रीजन सी.आई.आई.—नियोक्ता प्रतिनिधि, श्री राहुल चौधरी की जगह पर

श्री भूरे खान को अधिसूचना संख्या एफ. 9(1)/89/डीएलसी/डब्ल्यू/1869 दिनांक 12.06.2018 द्वारा दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य नियुक्त किया गया था। व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने दिनांक 16.06.2019 को बोर्ड के सदस्यता से त्यागपत्र दिया, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया, हालांकि, श्री भूरे खान ने श्रमिकों के कल्याण के लिये अपनी रुचि जाहिर की है और बोर्ड के सदस्य के नामांकन के लिये निवेदन किया है। तदनुसार, उनका नाम प्रस्तावित किया गया और सक्षम प्राधिकारी ने उन्हें बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नामांकित किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. राजेन्द्र धर, अतिरिक्त सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 24th June, 2020

No. F.9(1)/89/DLC/W/1567.—In exercise of powers conferred by sub-section 4 of the Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953 (Bombay Act No. XL of 1953) as extended to the National Capital Territory of Delhi Read with Rule 12 of the Delhi Labour Welfare Fund Rules, 1997, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following persons as members of the Delhi Labour Welfare Board constituted vide notification No. F.9(1)/89/DLC/W/1869 dated 12.06.2018:—

1. Sh. Bhure Khan Independent member
2. Dr. Alka Kaul, Executive Member of Northern Region, CII - Employer's representative, in place of Sh. Rahul Choudhary.

Sh. Bhure Khan was appointed as independent member in the Delhi Labour Welfare Board constituted vide notification no. No. F.9(1)/89/DLC/W/1869 dated 12.06.2018. He resigned as member of the Board vide his letter dated 16.06.2019 due to personal reason, which was accepted by the Competent Authority, however, Sh. Bhure Khan has shown his interest to work for the Welfare of the labourers and requested to be nominated as member of the Board. Accordingly, his name was recommended and the Competent Authority has nominated him as independent member in the Board.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National

Capital Territory of Delhi,

Dr. RAJENDER DHAR, Addl. Secy. (Labour)